

तुलन पत्र की अनुसूचियां
अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2005 को प्रारंभिक शेष	वर्ष में वृद्धि / समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	31.03.2006 को शेष
1.	प्रारक्षित निधि	3356,54,72,896	0	503,25,49,479	0	3859,80,22,375
2.	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00,000	0	6,01,45,321	6,01,45,321	50,00,00,000
3.	प्रारक्षित पूंजी	74,80,53,208	0	0	0	74,80,53,208
4.	निवेश में घट-बढ़ प्रारक्षित निधि	237,77,30,000	0	0	141,34,55,000	96,42,75,000
5.	सहकारिता विकास निधि	75,00,00,000	0	6,06,79,935	6,06,79,935	75,00,00,000
6.	मार्जिन राशि हेतु सुलभ ऋण सहायता निधि	10,00,00,000	0	0	0	10,00,00,000
7.	कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि	5,00,00,000	0	0	0	5,00,00,000
8.	विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	119,81,44,730	0	13,62,29,603	0	133,43,74,333
9.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(I) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	2215,00,00,000	0	450,00,00,000	0	2665,00,00,000
10.	कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि*	5,00,00,000	0	0	0	5,00,00,000
11.	आदिवासी विकास निधि*	50,00,00,000	(50,00,00,000)	0	0	0
जोड़		6198,94,00,834	(50,00,00,000)	978,96,04,338	153,42,80,256	6974,47,24,916
गत वर्ष		5290,89,85,487	0	984,56,61,126	76,52,45,779	6198,94,00,834

* : अनुसूची-5-अन्यनिधियों में अंतरित

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2005 को	भा.रि.बैंक का अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2006 को शेष
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	13152,00,00,000	1,00,00,000	30,00,00,000	13183,00,00,000
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1511,00,00,000	1,00,00,000	10,00,00,000	1522,00,00,000
जोड़		14663,00,00,000	2,00,00,000	40,00,00,000	14705,00,00,000
गत वर्ष		14570,00,00,000	2,00,00,000	91,00,00,000	14663,00,00,000

अनुसूची 3 - अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से सृजित निधियां

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2005 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त / समायोजित अनुदान	निधि में जमा ब्याज	वर्ष में व्यय / संवितरण / समायोजन	31.03.2006 को शेष
1.	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	42,45,66,374	5,29,98,400	0	0	47,75,64,774
2.	ग्रामीण संवर्धन समूह निधि (अनुसूची 18 नोट बी-3 और 4 देखें)	61,80,70,668	0	0	61,80,70,668	0
3.	ग्रामीण संवर्धन समूह निधि पर ब्याज (अनुसूची 18 नोट बी-3 और 4 देखें)	10,70,51,615	0	1,85,42,120	12,55,93,735	0
4.	ऋण और वित्तीय सेवा निधि (अनुसूची 18 नोट बी-3 और 4 देखें)	72,18,63,988	0	2,00,14,102	74,18,78,090	0
5.	ग्रामीण नवोन्मेष निधि (अनुसूची 18 नोट बी-3 और 4 देखें)	0	139,90,05,275	3,88,34,081	10,45,35,904	133,33,03,452
6.	वॉटरशेड विकास हेतु केएफडब्ल्यू निधि (अनुसूची 18 नोट बी 4 देखें)	3,50,65,543	2,34,87,931	11,53,001	1,25,77,251	4,71,29,224
7.	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफडब्ल्यू - नाबार्ड V निधि	33,58,153	6,09,38,286	0	5,89,66,425	53,30,014
8.	सीईसी - बीएआईएफ परियोजना निधि	62,077	2,21,86,874	0	2,22,48,951	0
9.	ग्रामीण संवर्धन निधि	0	78,96,472	0	0	78,96,472
जोड़		191,00,38,418	156,65,13,238	7,85,43,304	168,38,71,024	187,12,23,936
गत वर्ष		184,59,22,256	24,05,02,935	7,91,97,284	25,55,84,057	191,00,38,418

अनुसूची 4 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(रूपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2005 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	व्यय के समक्ष समायोजित	31.03.2006 को शेष
अ.						
i	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड - IX आदिवासी विकास कार्यक्रम (अनुसूची 18 नोट बी-4 देखें)	1,33,07,762	9,20,01,220	2,97,867	9,66,13,790	89,93,059
ii	नाबार्ड - V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम - गुजरात	39,765.00	0	0	39,765	0
iii	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी - चरण III - महाराष्ट्र	0	3,17,04,000	7,62,854	3,22,54,375	2,12,479
iv	आईजीडब्ल्यूडीपी - आंध्र प्रदेश (अनुसूची 18 नोट बी-4 देखें)	15,93,541	34,76,375	43,299	50,63,998	49,217
v	नाबार्ड एसडीसी मानव और संस्थागत विकास परियोजना के तहत अचल संपत्ति हेतु अनुदान	24,87,595	0	0	9,99,829	14,87,766
आ.						
i	शीत गृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश अनुदान	18,10,86,760	41,28,43,000	0	54,35,03,550	5,04,26,210
ii	लघु उद्योगों में तकनीकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी अनुदान	2,88,30,880	0	0	1,67,62,213	1,20,68,667
iii	ग्रामीण गोदामों हेतु पूंजी निवेश अनुदान	26,03,26,451	91,23,00,000	0	75,16,38,950	42,09,87,501
iv	फसल उत्पादन के लिए ऑन फार्म जल प्रबंध	53,87,510	0	0	(-)4,23,47,996	4,77,35,506
v	मिलियन उथले नलकूप कार्यक्रम	38,54,17,304	144,57,00,000	0	142,93,68,325	40,17,48,979
vi	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 नोट बी-4 देखें)	2,61,80,660	0	14,86,752	86,63,000	1,90,04,412
vii	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार (अनुसूची 18 नोट बी-4 देखें)	2,61,80,660	0	15,04,689	68,15,000	2,08,70,349
viii	जैविक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	1,50,00,000	6,32,50,000	0	58,33,960	7,24,16,040
ix	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आरएसवीवाई	10,00,00,000	0	0	7,17,674	9,92,82,326
x	सीआईएस - बागबानी विकास - बिहार	0	18,00,00,000	0	6,64,92,792	11,35,07,208
xi	कच्छ - सूखा रोकथाम परियोजना	0	3,54,54,173	0	79,42,842	2,75,11,331
xii	डेरी और पोल्ट्री वेंचर पूंजी निधि	0	12,00,00,000	0	11,92,03,828	7,96,172
xiii	कृषि विपणन आधारभूत सुविधा, ग्रेडिंग और मानकीकरण हेतु पूंजी अनुदान	0	20,00,00,000	0	4,00,86,150	15,99,13,850
जोड़		104,58,38,888	349,67,28,768	40,95,461	308,96,52,045	145,70,11,072
गत वर्ष		103,54,80,564	265,15,84,781	44,59,833	264,56,86,290	104,58,38,888

	31.03.2006 को	31.03.2005 को
इ. एआरडीआर योजना, 1990 के अंतर्गत क्षेत्रा बैंकों / रास बैंकों / राभूवि बैंकों को अनुदान घटाएं : एआरडीआर योजना, 1990 के अंतर्गत क्षेत्रा बैंकों / रास बैंकों / राभूवि बैंकों को जारी अनुदान	2695,37,95,937	2695,92,36,175
	2695,37,95,937	2695,92,36,175
	0	0

अनुसूची 5 - अन्य निधियां

(रूपए)

क्रम विवरण सं.	01.04.2005 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	31.03.2006 को शेष
1. वाटरशेड विकास निधि	429,14,02,507	132,07,53,434	0	25,29,48,359	3,77,98,262	3,77,98,262	578,95,07,776
2. सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ)	138,42,79,292	0	0	4,44,78,313	3,15,43,966	4,49,26,381	135,22,87,258
3. ब्याज विभेदक निधि - (फोरेक्स जोखिम)	73,38,39,550	14,88,68,804	0	0	0	0	88,27,08,354
4. ब्याज विभेदक निधि-(तावा) (अनुसूची 18 नोट बी-1 देखें)	5,53,14,936	59,87,044	0	0	55,00,000	0	5,58,01,980
5. चिकित्सा सहायता निधि - एमएएफ(*)	2,96,970	66,23,725	0	0	69,20,695	0	0
6. आदिवासी विकास निधि	2,09,90,476	70,10,204	0	0	0	0	2,80,00,680
7. आदिवासी विकास निधि#	0	50,00,50,000	0	0	61,09,208	0	49,39,40,792
जोड़	648,61,23,731	198,92,93,211	0	29,74,26,672	8,78,72,131	8,27,24,643	860,22,46,840
गत वर्ष	510,56,67,247	85,87,76,732	40,00,00,000	25,09,88,226	7,30,80,624	5,62,27,850	648,61,23,731

* : एमएएफ के अंतर्गत व्यय इस निधि में उपलब्ध शेष राशि तक सीमित है और अतिरिक्त व्यय को फुटकर अग्रिम खाता 'अन्य आस्तियों' के तहत चिकित्सा अग्रिम में नामे लिखा जाता है.
: अनुसूची 1 से अंतरित - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

अनुसूची 6 - जमाराशियां

(रूपए)

क्रम विवरण सं.	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1. केन्द्र सरकार	17,26,000	58,17,000
2. राज्य सरकार	78,22,550	1,55,65,900
3. चाय / रबड़ / कॉफी जमाराशियां	76,39,44,170	53,54,37,749
4. वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा)	13974,36,93,283	9169,23,81,000
जोड़	14051,71,86,003	9224,92,01,649

अनुसूची 7 - बांड और डिबेंचर

(रूपए)

क्रम विवरण सं.	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1. एसएलआर बांड	708,80,11,000	792,30,11,000
2. करमुक्त बांड	1000,00,00,000	1050,00,00,000
3. प्राथमिकता क्षेत्र कर योग्य बांड	5605,50,00,000	5435,60,00,000
4. गैर प्राथमिकता क्षेत्र बांड	4334,00,00,000	3925,00,00,000
5. पूंजी अभिलाभ बांड	9164,65,80,000	6001,01,90,000
जोड़	20812,95,91,000	17203,92,01,000

अनुसूची 8 - उधार

(रूपए)

क्रम विवरण सं.	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1. केन्द्र सरकार से	399,83,07,833	404,12,91,003
2. सामान्य ऋण व्यवस्था के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से	2997,95,20,000	3927,25,37,000
3. अन्य से :		
(क) भारत में वाणिज्य बैंकों से	2500,00,00,000	4300,00,00,000
(ख) भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से	294,41,60,177	297,01,04,915
जोड़	6192,19,88,010	8928,39,32,918

अनुसूची 9 - चालू देयताएं और प्रावधान

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1.	ब्याज उपचित लेकिन देय नहीं		
	क) भारत सरकार से ऋण	20,23,56,503	20,24,96,006
	ख) बांड	532,36,09,331	468,69,42,786
	ग) चाय / रबड़ / कॉफी जमाराशियां	2,71,91,661	2,34,51,725
	घ) केन्द्र और राज्य सरकारों से जमाराशियां (एसएलए)	1,64,804	3,69,071
	ङ) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से उधार	55,20,300	49,43,545
	च) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां	160,92,82,697	136,80,37,243
	छ) वाणिज्य बैंकों से उधार	41,08,219	66,97,540
	उप-जोड़	717,22,33,515	629,29,37,916
2.	विविध लेनदार	34,64,12,171	2,21,05,56,099
3.	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	164,32,55,000	147,45,40,000
4.	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 नोट बी-6 देखें)	321,29,32,255	248,12,15,399
5.	साधारण अवकाश के नकदीकरण हेतु प्रावधान	58,57,44,000	48,38,79,000
6.	भा.रि.बैंक के पास बांड पर दावा न किया गया ब्याज	18,31,586	1,22,676
7.	बांड पर दावा न किया गया ब्याज - अन्य	1,97,94,173	1,63,31,540
8.	परिपक्व बांड लेकिन दावा न किया गया (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	24,55,00,000	15,84,51,000
9.	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
	(क) सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	18,18,15,952	0
	(ख) मानक आस्तियों हेतु	270,70,00,000	200,00,00,000
	(ग) निवेशों के मूल्य में ह्रास हेतु	33,09,83,991	1,03,89,50,721
	(घ) ब्याज घटक का उत्सर्ग - पुनर्संरचना खाते	31,08,00,000	0
	जोड़	1675,83,02,643	1615,69,84,351

अनुसूची 10 - रोकड़ और बैंक शेष

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1.	हाथ में शेष रोकड़	34,034	35,940
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	103,66,96,888	42,44,76,370
3.	भारत में अन्य बैंकों में शेष		
	क) चालू खाते में	27,72,31,733	174,71,29,304
	ख) बैंक में जमा	4095,00,00,000	5225,00,00,000
4.	मार्गस्थ प्रेषण	69,41,77,028	35,45,14,366
	जोड़	4295,81,39,683	5477,61,55,980

अनुसूची 11 - निवेश

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1.	सरकारी प्रतिभूतियां केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां *	2471,89,73,220	4755,46,12,905
	अंकित मूल्य रु.2229,21,30,000 (पिछले वर्ष - रु.4153,21,30,000)		
	बाजार मूल्य रु.2403,48,61,549 (पिछले वर्ष रु.4652,56,98,184)		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
3.	शेयर		
(क)	एडीएफसी - इक्विटी अंकित मूल्य रु.15,60,00,000 (पिछले वर्ष - रु.15,60,00,000)	15,60,00,000	15,60,00,000
(ख)	एएफसी - इक्विटी अंकित मूल्य रु.1,00,00,000 (पिछले वर्ष - रु.1,00,00,000)	1,00,00,000	1,00,00,000
(ग)	सिडबी - इक्विटी अंकित मूल्य रु.16,00,00,000 (पिछले वर्ष - रु.16,00,00,000)	48,00,00,000	48,00,00,000
(घ)	एआईसीआई लि. अंकित मूल्य रु.60,00,00,000 (पिछले वर्ष - रु.60,00,00,000)	60,00,00,000	60,00,00,000
(ङ)	नैबकॉन्स प्रा.लि. अंकित मूल्य रु.5,00,00,000 (पिछले वर्ष - रु.5,00,00,000)	5,00,00,000	5,00,00,000
(च)	एनसीडेक्स लि. अंकित मूल्य रु.4,50,00,000 (पिछले वर्ष - रु.4,50,00,000)	4,50,00,000	4,50,00,000
(छ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि. अंकित मूल्य रु.1,25,00,000 (पिछले वर्ष - रु.0.00)	1,25,00,000	0
4.	अन्य		
(क)	म्युचुअल फंड अंकित मूल्य रु.450,00,00,000 (पिछले वर्ष - रु.245,00,00,000)	450,38,05,641	246,30,17,696
(ख)	बीवीएफ - एपीआईडीसी -V निवेश	2,00,00,000	2,00,00,000
(ग)	पुनर्भाजित बिल	216,53,14,794	0
	जोड़	3276,15,93,655	5137,86,30,601

*: 31 मार्च 2006 को शेष में सीसीआईएल में बंधक रु. 10,00,00,000 (बुक वैल्यू रु. 12,90,08,500) की प्रतिभूतियां शामिल हैं।

अनुसूची 12 - अग्रिम

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1.	पुनर्वित्त ऋण :		
	(क) उत्पादन और विपणन ऋण	9421,15,12,200	8185,02,80,135
	(ख) नाबाई ऋण व्यवस्था	196,20,00,000	122,00,00,000
	(ग) उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	267,02,04,200	364,72,28,201
	(घ) मध्यावधि निवेश ऋण - गैर परियोजना ऋण	83,20,000	2,59,07,800
	(ङ) चलनिधि सहायता	2491,79,90,000	808,10,61,000
	(च) अन्य निवेश ऋण :		
	i. मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (अनुसूची 18 नोट बी-10 देखें)	30156,51,18,634	27937,82,64,790
	ii. दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	387,48,60,498	405,99,64,466
	iii. अंतरिम वित्त	90,00,000	46,65,200
2.	प्रत्यक्ष ऋण :		
	(क) ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	15142,41,48,024	10513,14,27,950
	(ख) अन्य ऋण :		
	i. सहकारिता विकास निधि	1,11,47,598	1,53,85,796
	ii. सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	8,57,50,000	7,29,95,900
	iii. वाटरशेड विकास निधि	5,00,38,150	1,96,18,550
	iv. ग्रामीण संवर्धन समूह निधि	0	53,724
	v. ऋण और वित्तीय सेवाएं निधि	0	24,85,000
	(ग) सह-वित्तपोषण ऋण	8,93,07,418	3,81,51,998
	जोड़	58087,93,96,722	48354,74,90,510

अनुसूची 13 - अचल आस्तियां

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1.	भूमि [पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाकृत] (अनुसूची 18 नोट बी-9 देखें) प्रारंभिक शेष खाता - भूमि [वर्ष के लिए] वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन बही मूल्य	1,17,63,91,682 37,25,531 1,18,01,17,213 25,10,63,713 92,90,53,500	1,17,69,33,140 (-) 5,41,458 1,17,63,91,682 22,55,83,782 95,08,07,900
2.	परिसर : (अनुसूची 18 नोट बी-9 देखें) प्रारंभिक शेष खाता - परिसर [वर्ष के लिए] वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएं : अब तक मूल्य ह्रास बही मूल्य	2,16,50,78,981 2,90,22,923 2,19,41,01,904 1,05,03,95,207 1,14,37,06,697	2,15,47,55,385 1,03,23,596 2,16,50,78,981 96,09,33,989 1,20,41,44,992
3.	फर्नीचर और फिक्शर्स प्रारंभिक शेष खाता - फर्नीचर और फिक्शर [वर्ष के लिए] वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन उप-जोड़ घटाएं : बिकी हुई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएं : अब तक मूल्य ह्रास बही मूल्य	52,08,92,637 4,15,63,227 56,24,55,864 1,22,54,367 55,02,01,497 46,49,71,459 8,52,30,038	50,35,89,969 6,73,94,029 57,09,83,998 5,00,91,361 52,08,92,637 42,76,71,533 9,32,21,104
4.	कम्प्यूटर इंस्टालेशन और कार्यालय उपकरण प्रारंभिक शेष खाता - सीआईओई (वर्ष के लिए) वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन उप-जोड़ घटाएं : बिकी हुई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएं : अब तक मूल्य ह्रास बही मूल्य	57,96,67,344 5,07,93,134 63,04,60,478 1,84,71,816 61,19,88,662 52,35,86,535 8,84,02,127	53,19,43,041 8,67,38,592 61,86,81,633 3,90,14,289 57,96,67,344 48,45,07,043 9,51,60,301
5.	वाहन प्रारंभिक शेष खाता - वाहन [वर्ष के लिए] वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन उप-जोड़ घटाएं : बिकी हुई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएं : अब तक मूल्य ह्रास बही मूल्य	2,55,91,736 22,32,106 2,78,23,842 43,56,652 2,34,67,190 1,78,28,887 56,38,303	2,62,31,679 18,87,818 2,81,19,497 25,27,761 2,55,91,736 1,93,51,189 62,40,547
	जोड़	2,25,20,30,665	2,34,95,74,844

अनुसूची 14 - अन्य आस्तियां

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1.	उपचित ब्याज	1141,12,54,737	1057,63,72,830
2.	भूस्वामियों के पास जमाराशियां	1,17,32,370	1,18,44,660
3.	सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों में जमाराशियां	2,45,24,630	2,16,30,022
4.	स्टाफ को आवास ऋण	81,80,46,741	84,96,21,639
5.	स्टाफ को अन्य अग्रिम	53,28,80,641	49,31,92,958
6.	भूस्वामियों को अग्रिम	1,03,025	15,06,141
7.	स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों के निर्माण / खरीद हेतु अग्रिम	28,87,87,188	21,24,60,255
8.	फुटकर अग्रिम	26,91,42,791	27,92,13,313
9.	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को छोड़कर)	152,24,05,729	116,35,58,427
10.	आस्थगित कर परिसंपत्ति (अनुसूची 18 नोट बी-8 देखें)	225,17,00,000	211,20,00,000
11.	भारत सरकार / अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से वसूली योग्य व्यय	5,74,52,829	1,74,69,609
12.	प्राप्य भुनाई राशियां	1,30,83,014	0
जोड़		1720,11,13,695	1573,88,69,854

अनुसूची 15 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1.	निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज		
i.	केन्द्र सरकार से ब्याज	28,85,21,779	39,26,42,825
ii.	भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार	175,39,12,774	139,54,55,630
iii.	बांड	1017,37,41,165	873,09,55,120
iv.	केन्द्र और राज्य सरकार से विशेष ऋण जमाराशियां	13,24,296	25,18,247
v.	चाय / कॉफी / रबड़ जमाराशियां	3,41,25,547	2,90,42,435
vi.	ग्रेच्युटी और चिकित्सा निधि	11,47,72,737	9,30,43,594
vii.	अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से लिए गए उधार	20,65,94,819	18,27,93,792
viii.	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत जमाराशियां	692,93,84,890	802,58,65,831
ix.	ग्रामीण संवर्धन समूह निधि	1,85,42,120	3,70,84,240
x.	ऋण और वित्तीय सेवा निधि	2,00,14,102	4,08,60,226
xi.	पशुधन विकास कार्यक्रम (उ.प्र. और बिहार)	29,91,441	35,41,320
xii.	वाटरशेड विकास निधि	25,29,48,359	20,25,33,246
xiii.	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	4,44,78,313	4,82,07,688
xiv.	सीईसी - बीएआईएफ परियोजना निधि	0	4,147
xv.	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	43,299	1,03,821
xvi.	केएफडब्ल्यू नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी चरण III महाराष्ट्र	7,62,854	0
xvii.	केएफडब्ल्यू नाबार्ड - IX आदिवासी विकास कार्यक्रम	2,97,867	7,74,927
xviii.	नाबार्ड - V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम - गुजरात	0	39,765
xix.	वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि (आईजीडब्ल्यूडीपी)	11,53,001	12,48,671
xx.	भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कारपोरेट उधार	193,55,24,374	186,44,97,254
xxi.	ग्रामीण नवोन्मेष निधि	3,88,34,081	0
2.	स्वाप प्रभार	3,37,02,553	3,42,17,443
3.	प्रतिभूति तथा बांड पर बट्टा, दलाली, कमीशन और जारी करने संबंधी व्यय	8,87,91,978	5,04,99,863
4.	रेपो ब्याज व्यय	2,31,06,636	0
जोड़		2196,35,68,985	2113,59,30,085

अनुसूची 16 - स्थापना और अन्य व्यय

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
i.	वेतन तथा भत्ते	184,48,10,670	155,87,94,371
ii.	स्टाफ अधिवर्षिता निधि में अंशदान	95,78,83,568	104,95,86,190
iii.	निदेशकों और समिति सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते	10,00,918	6,01,515
iv.	निदेशकों और समिति सदस्यों का शुल्क	2,500	23,500
v.	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	17,38,37,963	16,96,91,368
vi.	यात्रा व्यय	17,13,74,535	16,45,47,570
vii.	मुद्रण और लेखन सामग्री	2,61,66,131	2,50,87,913
viii.	डाक, तार और टेलीफोन	5,66,78,077	4,59,31,002
ix.	मरम्मत कार्य	2,88,24,941	2,07,35,916
x.	लेखा परीक्षा फीस	7,09,414	7,18,400
xi.	विधि प्रभार	14,18,954	13,98,038
xii.	विविध व्यय	33,52,64,172	29,84,49,601
xiii.	विविध आस्तियों पर व्यय	91,02,168	0
xiv.	अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर व्यय (क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों का स्थापना व्यय रु.3,50,43,730 (Rs. 2,86,03,782) सहित)	18,72,05,612	17,66,41,194
xv.	निम्नलिखित के अंतर्गत प्रोत्साहन गतिविधियों पर व्यय		
	(i) सहकारी विकास निधि	6,06,79,935	5,49,92,870
	(ii) सूक्ष्म वित्त विकास एवं इक्विटी निधि	4,49,26,381	2,85,12,992
	(iii) वाटरशेड विकास निधि	3,77,98,262	2,77,14,858
xvi.	सम्पत्ति कर (अनुसूची 18 नोट बी-14 देखें)	58,98,058	50,77,351
	जोड़	394,35,82,259	362,85,04,649

अनुसूची 17 - वायदा और आकस्मिक देयताएं

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2006 को शेष	31.03.2005 को शेष
1.	निष्पादित किए जाने के लिए शेष पूंजी संविदाओं के लिए प्रतिबद्धता	9,45,60,000	21,76,56,000
2.	आकस्मिक देयताएं		
	(i) परिसरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भुगतान के विवादग्रस्त दावे	27,30,85,000	60,01,19,000
	(ii) अपील में आयकर के मामले	39,90,00,000	23,52,00,000

अनुसूची - 18

1. सामान्य

सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसरण में लागत निर्धारण के परम्परागत तरीकों के अनुसार लेखे तैयार किए गए हैं।

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2. आय और व्यय

2.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचान की गई अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज और सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों, जो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हैं, पर ब्याज
- (ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब अथवा ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय।
- (iii) ग्रामीण संवर्धन समूह निधि (आरपीसीएफ), ऋण और वित्तीय सेवा निधि (सीएफएसएफ), और ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आरआईएफ) से दिए गए ऋणों पर सेवा-प्रभार। तथापि सेवा प्रभार को ग्रामीण संवर्धन निधि (आरपीएफ) में जमा किया जाता है और यह नाबाई की आय में शामिल नहीं होते हैं।
- (iv) कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि (एआरआईआईए) और केएफडब्ल्यू नाबाई V आदिवासी कार्यक्रम निधि से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार;
- (v) व्यय के एकल शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई पर रु.10,000/- से अनधिक खर्च की राशि।

2.2 बाँड जारी करने से संबंधित निर्गम व्यय को बाँड जारी करने के वर्ष के खर्च के रूप में माना गया है।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ और मूल्यहास

- 3.1 अचल परिसम्पत्तियों को लागत के आधार पर बताया गया है।
- 3.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाकृत भूमि शामिल है।
- 3.3 परिसर में उस भूमि का मूल्य शामिल है जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है।
- 3.4 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर अवस्थित परिसरों के लिए मूल्य हास रिटेन डाउन वैल्यू के आधार पर प्रभारित किया गया है।
- 3.5 पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किये गये लीज प्रीमियम का परिशोधन और पट्टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों के सम्बन्ध में मूल्यहास की गणना मूल्य हासित पद्धति के अनुसार 5 प्रतिशत की अधिक दर पर करके प्रभारित की गयी। अथवा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर भूमि की शेष लीज

अवधि के प्रीमियम/लागत का परिशोधन कर आकलित राशि के अनुसार किया गया।

3.6 निर्धारित दरों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्य हास प्रभारित किया गया है, भले ही परिसम्पत्ति की खरीद की तारीख कुछ भी हो।

3.7 कंप्यूटरों, मोटर वाहनों, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आदि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य हास प्रभारित किया गया है।

3.8 कार्यालय के लिए रु.5,000/- तक की पूंजी मदों पर हुए व्यय को लाभ-हानि खाते में डाला गया है।

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ और परिशोधन

3.9 पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किये गये लीज प्रीमियम का परिशोधन और पट्टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों के सम्बन्ध में मूल्यहास की गणना मूल्य हासित पद्धति के अनुसार 5 प्रतिशत की अधिक दर पर करके प्रभारित किया गया अथवा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर भूमि की शेष लीज अवधि के प्रीमियम/लागत की परिशोधन कर आकलित राशि के अनुसार किया गया।

3.10 सॉफ्टवेयर की खरीद पर व्यय हुई धनराशि को राजस्व व्यय माना गया है, कम्प्यूटरों के साथ पहले से लगे हुए साफ्टवेयरों को छोड़कर।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेश संविभाग तीन श्रेणियों 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित', में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को i) सरकारी प्रतिभूतियाँ ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ iii) शेयर और iv) अन्य में वर्गीकृत किया गया है।

4.2 'परिपक्वता के लिए धारित' निवेशों को लागत के आधार पर दिखाया जाता है और यदि उनके मूल्य में कोई हास / घटाव / परिशोधन हो तो उसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों में शामिल किया गया है।

4.3 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित' निवेशों को निर्धारित अंतराल पर बाजार के लिए मार्क किया जाता है। जबकि 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक श्रेणी में निवेश के लिए केवल निवल मूल्य हास, यदि कुछ हो, किया गया है, व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों की प्रत्येक श्रेणी में मूल्य हास या मूल्य वृद्धि को मान्य समझा गया है।

4.4 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं में निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी से भिन्न, कमी हेतु यथावश्यक प्रावधान किया गया है।

4.5 अभिग्रहण के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि की राशि को राजस्व मद माना गया है।

4.6 ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व मद माना गया है।

5. ऋण और उनके लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों को रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधान मानदण्डों के अनुरूप और आवधिक समीक्षा के आधार पर चिह्नित अग्रिमों के संबंध में गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

5.2 सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकारों को दिए गए अग्रिमों को मानक परिसम्पत्तियां माना गया है।

5.3 अग्रिमों की पुनर्संरचना / पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भविष्य के ब्याज की वर्तमान कीमत का प्रावधान पुनर्संरचना / पुनःअनुसूचीकरण करते समय किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 हेजिंग करार के तहत कवर किए गए विदेशी मुद्रा उधारों को संविदा मूल्य पर लिखा गया है।

6.2 करेंसी स्वाप करार के निरस्तीकरण अथवा नवीकरण से हुए लाभ / हानि को करार के अंतिम निस्तारण में समायोजित किया गया है।

7. सेवानिवृत्त लाभ

7.1 बैंक की भविष्य निधि योजना का प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। निधि में वास्तविक आधार पर अंशदान किया जाता है।

7.2 बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान सभी कर्मचारियों के लिए किया गया है, जिसमें रिज़र्व बैंक से स्थानान्तरित कर्मचारी भी शामिल हैं। रिज़र्व बैंक से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

7.3 पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिकी आधारित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

7.4 पेंशन का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों से संबंधित, नियोक्ता की ओर से भविष्य निधि अंशदान की राशि (जो अब पेंशन निधि का अंश है) का प्रबंध रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।

7.5 साधारण अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

8. आय पर कर

8.1 चालू अवधि के लिए आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसरण और असेसमेंट / अपील के अनुमानित निष्कर्ष के आधार पर

कर योग्य आय और कर क्रेडिट की गणना करके आयकर का निर्धारण किया गया है।

8.2 आस्थगित कर की पहचान लेखांकन आय और वर्ष के लिए कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के आधार पर की गई है। कर की दरों और अधिनियमित अथवा तुलन-पत्र की तारीख को वास्तव में अधिनियमित कानूनों का प्रयोग करके उसकी मात्रा निर्धारित की गई है।

8.3 आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है जहाँ तक यह तार्किक रूप से निश्चित है कि भविष्य में कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।

9. खंड रिपोर्टिंग की नीति

9.1 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित एवं इसमें विनियोज्य अन्य आय एवं ब्याज शामिल हैं।

9.2 ऐसे व्यय जो किसी खंड से सीधे पहचान योग्य / विनियोज्य हैं, उन्हें खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए निश्चित किया गया है। ऐसे व्यय जिनका सम्पूर्ण बैंक से संबंध है और जिन्हें विनियोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें 'अन्य अविनियोज्य व्ययों' में शामिल किया गया है।

9.3 आय जो सम्पूर्ण बैंक से संबंधित है और जो विनियोज्य नहीं हैं, उसे 'अन्य अविनियोज्य - बैंक आय' में शामिल किया गया है।

9.4 संबंधित खंड से सीधे पहचान योग्य परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ खंड आस्तियाँ और देयताओं में शामिल हैं। अविनियोज्य परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ वे हैं जो समग्र रूप से बैंक से संबंधित हैं तथा जो किसी खंड में अविनियोज्य हैं।

10. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

10.1 प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की धारित राशि की अनर्जकता के लिए परीक्षण किया जाता है जिससे,

क. यदि कुछ हानि हुई हो तो, उसके लिए प्रावधान अथवा

ख. पिछली अवधि में पहचानी गई क्षतिग्रस्त हानि, यदि कुछ हो तो, उसका प्रत्यावर्तन किया जा सके।

10.2 क्षतिग्रस्त हानि तब मानी जाती है जब किसी आस्ति की धारित राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

11.1 निम्नलिखित स्थितियों में केवल पर्याप्त स्तर के प्राक्कलन का

उपयोग कर आंकी गई देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है;

- क. पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है.
- ख. दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आशा है.
- ग. देयता की राशि का वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है.

11.2 भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानान्तरित स्टाफ हेतु ग्रेच्युटी प्रावधान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देय राशि, जिसकी गणना नकद आधार पर की जाती है, को छोड़कर व्यय से संबंधित संभावित प्रतिपूर्ति जिसके लिए प्रावधान की आवश्यकता है, केवल उसी स्थिति में मान्य है जब यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

11.3 आकस्मिक देयता को निम्नलिखित स्थितियों से उजागर किया जाता है

- क. पिछली घटना से वर्तमान देयता उद्भूत होती हो. जब इसकी संभावना नहीं है कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी.
- ख. जब तक बहिर्गमन की संभाव्यता नगण्य न हो, संभावित देयता.

11.4 आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की जाती है और न ही प्रकट किया जाता है.

11.5 प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

आ. लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. तावा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना करार के अनुसार बैंक को दिए गए ऋणों पर भारत सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है, जिसमें से 4.5 प्रतिशत 'विभेदक ब्याज निधि' में लेखाबद्ध किया गया है, जिसका उपयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए किया गया है और शेष 2 प्रतिशत का भुगतान भारत सरकार को किया गया है.

2. रास बैंकों / क्षेत्र बैंकों को तरलता सहायता के तहत सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार से रु.37.50 करोड़ की ब्याज सहायता राशि प्राप्त हुई, जिसे बैंक की विविध आय में शामिल किया गया है.

3. वर्ष के दौरान 30 सितम्बर 2005 की स्थिति के अनुसार आरपीसीएफ की समूह निधि, आरपीसीएफ पर ब्याज और सीएफएएफ को 01 अक्टूबर 2005 से सृजित ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आरआईएफ) में अंतरित कर दिया गया. स्विस् विकास कोआपरेशन के साथ हुए सहमति ज्ञापन के अनुसार 01 अक्टूबर 2005 से आरआईएफ से दिए गए ऋणों की अदायगी को 01 अक्टूबर 2005 से बनाई गई ग्रामीण संवर्धन निधि (आरपीसीएफ) में जमा किया जाता है.

4. आरआईएफ, वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि, केएफडब्ल्यू नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी - आंध्र प्रदेश, केएफडब्ल्यू नाबार्ड IX आदिवासी विकास कार्यक्रम, पशु विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश) और पशु विकास कार्यक्रम (बिहार) की अप्रयुक्त शेष राशियों पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज को संबंधित निधि के करार के अनुसार उसमें जमा किया गया है.

5. कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990, के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जाने वाले अनुदान और राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए ऋण/ अनुदानों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त होने वाली निधियों के संवितरण के लिए बैंक एक चैनल के रूप में काम कर रहा था.

6. 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी पेंशन निधि की शेष राशि की पुष्टि बैंक को प्राप्त नहीं हुई है. यह पुष्टि प्राप्त होने तक बैंक की बहियों के अनुसार भारि बैंक के पास रखी पेंशन निधि की शेष राशि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है.

7. बैंक द्वारा जारी एसएलआर बांडों की सर्विसिंग / प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता था. 01 अक्टूबर 2003 से, इन बांडों की सर्विसिंग का कार्य बैंक ने अपने हाथ में ले लिया. 'परिपक्व बांड्स किंतु दावा नहीं किया गया' के कारण देय बकाया शेष तथा दावा नहीं किए गए ब्याज को बैंक द्वारा 01 अक्टूबर 2003 से आगे किए गए भुगतानों को घटाकर दर्शाया गया है.

8. वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के अनुसार 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियां रु.225.17 करोड़ और 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार निवल आस्थगित कर आस्तियां रु.211.20 करोड़ के बीच अंतर की राशि रु.13.97 करोड़ की राशि को पहचान लाभ और हानि खाते में कर ली है.

आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं निम्नलिखित समय अंतर के कारण थी :
(रु.करोड़)

क्रम सं.	आस्थगित कर आस्तियां	31 मार्च 2006	31 मार्च 2005
1.	बहियों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान जिन पर भुगतान के आधार पर करों में छूट अनुमन्य है	183.18	149.36
2.	अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	25.58	26.34
3.	स्टॉक में भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर खंडित अवधि के लिए ब्याज	12.33	35.50
4.	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	4.08	0.00
	जोड़	225.17	211.20

9. 'भूमि और परिसर' के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए रु.41.14 करोड़ (रु.43.77 करोड़) की कुल राशि का भुगतान शामिल है जिनके संबंध में स्वामित्व हस्तांतरण होना शेष है।

10. विभिन्न राज्य भूमि विकास बैंकों / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में बैंक ने अभिदान किया है। इन्हें 'अग्रिम-अन्य-निवेश-ऋण - मध्यावधि - और दीर्घावधि परियोजना ऋण' के अंतर्गत शामिल किया गया है। आबंटन पत्रों / डिबेंचर रसीदों के मूल्य की राशि जो अभी प्राप्त होनी है, वह अब तक रु.114.65 करोड़ (रु.183.04 करोड़) है।

11. एसडीसी-एचआईडी परियोजना के तहत खरीदी गई आस्तियों पर एसडीसी के हिस्से का मूल्यहास रु.0.09 करोड़ (रु.0.24 करोड़) घटाकर लाभ एवं हानि खाते में मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

12. बैंक के विचार से आस्तियों में कोई महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्तता नहीं है अतः लेखांकन मानक-28 के तहत कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

13. एएस-29 के तहत आवश्यक आकस्मिक देयताओं में हुई वृद्धि इस प्रकार है :

(रु.करोड़)

विवरण	2005-06	2004-05
अथ शेष	83.53	65.48
वर्ष के दौरान प्रावधान	17.50	23.52
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	33.82	5.47
इति शेष	67.21	83.53

14. लाभ-हानि खाते में सम्मिलित पूर्व अवधि मर्दे इस प्रकार है :

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2005-06	2004-05
1	मूल्य हास	0.52	0.04
2	अन्य व्यय	0.00	0.03
3	सम्पत्ति कर	0.06	0.18

15. 31 मार्च 2006 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के समक्ष 34.44 प्रतिशत था।

16. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः वर्गीकृत / पुनःनिर्धारित किए गए हैं।

17. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

18. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2005-06 / 122 (संदर्भ सं.डीबीओडी.एफआईडी.एफआईसी.2 / 01.02.00 / 2005-06) दिनांक 13 अगस्त 2005 के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं प्रकट की गई हैं।

I. पूंजी

(क) कैपिटल टू रिस्क - वेटेड एसेट रेशियो (सी आर ए आर)

(प्रतिशत)

विवरण	31 मार्च 2006	31 मार्च 2005
सी आर ए आर	34.44	38.78
कोर सी आर ए आर	33.10	36.77
अनुपूरक सी आर ए आर	1.34	2.01

(ख) सर्बोर्डिनेटेड ऋण

(रु.करोड़)

विवरण	31 मार्च 2006	31 मार्च 2005
ली गई और बकाया सर्बोर्डिनेटेड ऋण की राशि	शून्य	शून्य

(ग) रिस्क वेटेड एसेट

(रु.करोड़)

विवरण	31 मार्च 2006	31 मार्च 2005
ऑन - बैलेंस शीट मर्दे	27279.12	21687.67
ऑफ - बैलेंस शीट मर्दे	67.21	83.53

(घ) तुलन पत्र की तारीख को पूंजी अंशदान की पद्धति

(रु.करोड़)

अंशदानकर्ता	31 मार्च 2006	31 मार्च 2005
भारतीय रिजर्व बैंक	1450	1450
भारत सरकार	550	550
जोड़	2,000	2,000

II. आस्तियों की गुणवत्ता और ऋण सघनता
(स्टाफ अग्रिमों को छोड़कर)

(क) निवल एनपीए स्थिति :

विवरण	31 मार्च 2006	31 मार्च 2005
शुद्ध ऋणों और अग्रिमों से शुद्ध		
अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत	0.000000	0.000004

(ग) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

(रु. करोड़)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	2005-06	2004-05
मानक आस्तियां	70.70	0.00
अनर्जक आस्तियां	0.00	0.26
निवेश	32.09	103.24
आयकर (अनुलाभ कर सहित)	328.20	357.00
जोड़	430.99	460.50

(ख) आस्तियों का वर्गीकरण (स्टाफ अग्रिमों को छोड़कर)

(रु. करोड़)

वर्गीकरण	2005-06		2004-05	
	राशि	(%)	राशि	(%)
मानक	58,087.94	100.000	48,354.042	99.998538
उप-मानक	0.000	000	0.0002	0.000004
संदिग्ध	0.000	000	0.705	0.001458
हानि	0.000	000	0.000	0.000000
जोड़	58,087.94	100.000	48,354.749	100.000000

(घ) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

(रु. करोड़)

विवरण	2005-06	2004-05
अ. वर्ष के प्रारंभ में अनुत्पादक आस्तियां	0.24	0.93
आ. जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.01
इ. उप-जोड़ (अ + आ)	0.24	0.94
ई. घटाएं : वर्ष के दौरान आई कमी	0.10	0.70
उ. वर्ष की समाप्ति पर अनुत्पादक आस्तियां (इ - ई)	0.14	0.24

(ङ) किए गए निवेशों के संबंध में जारीकर्ता श्रेणियां

(रु. करोड़)

क्रम सं.	जारीकर्ता	धनराशि	धनराशि			
			निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निवेश	निवेश ग्रेड से नीचे धारित प्रतिभूतियां	धारित अनरेटेड प्रतिभूतियां	'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	48.00	48.00			48.00
3	बैंक					
4	प्रायवेट कारपोरेट					
5	सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम	20.60	20.60	0	20.60	20.60
6	अन्य	519.14	519.14			7.75
7	मूल्यहास के लिए प्रावधान #	1.82	--	--	--	--
	जोड़	587.74	587.74	0	20.60	76.35

स्तम्भ (3) में प्रावधान की राशि का केवल जोड़ दर्शाया जाना है.

(च) अनर्जक निवेश : शून्य

(छ) ऋण एक्सपोजर की पूँजी निधियों से प्रतिशतता और कुल आस्तियों से प्रतिशतता

क्रम सं.	वर्ग	2005-06		2004-05	
		ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता			
		पूँजी निधियों से	कुल आस्तियों से	पूँजी निधियों से	कुल आस्तियों से
I	सबसे बड़ा एकल ऋणकर्ता	36.70	5.11	33.28	4.49
II	सबसे बड़ा ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
III	वर्ष के दस सबसे बड़े एकल ऋणकर्ता				
1	आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक	36.70	5.11	33.28	4.49
2	उ.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक	31.01	4.32	37.16	5.01
3	पंजाब राज्य सहकारी बैंक	29.02	4.04	29.76	4.01
4	भारतीय स्टेट बैंक	24.60	3.43	6.49	0.88
5	हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक	19.66	2.74	22.71	3.06
6	पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक	19.31	2.69	19.70	2.66
7	गुजरात राज्य सरकार	18.31	2.55	12.45	1.68
8	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार	17.91	2.50	10.92	1.47
9	उ.प्र. राज्य सरकार	15.94	2.22	16.34	2.20
10	केरल राज्य भूमि विकास बैंक	15.22	2.12	16.48	2.22
IV	दस सबसे बड़े ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ज) कुल ऋण आस्तियों से पाँच सबसे बड़े उद्योग समूहों को ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता : लागू नहीं

III. तरलता

(क) रूप्यों में आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप :

(रु.करोड़)

क्रम सं.	मद	1 वर्ष से कम अथवा उसके बराबर	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़ #
1.	आस्तियां रूप में	22,750.18 (22,339.00)	18,214.06 (13,932.92)	12,241.98 (10,001.17)	8,260.35 (6,705.79)	5,866.14 (7,599.20)	67,332.71 (60,578.08)
2.	देयताएं रूप में	8,312.19 (12,481.13)	22,200.01 (11,692.92)	5,944.65 (8,105.34)	3,089.60 (2,903.37)	27,491.84 (25,098.31)	67,038.29 (60,281.07)

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान तथा साथ ही सहायक संस्थाओं के शेयर में निवेश के मूल्य हास के समक्ष प्रावधान, जिन्हें तुलनपत्र में देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, को उक्त तालिका में आस्तियों से घटाया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं का स्वरूप

(रु.करोड़)

क्रम सं.	मद	1 वर्ष से कम अथवा उसके बराबर	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़ #
1	विदेशी मुद्रा आस्तियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2	विदेशी मुद्रा देयताएं	4.73 (2.58)	16.73 (11.62)	19.69 (18.21)	19.69 (19.69)	233.58 (211.91)	294.42 (297.01)

IV. परिचालन परिणाम

क्रम सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2006	31 मार्च 2005
1	प्राप्त ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत	6.28	6.90
2	गैर-ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत	- 0.14	0.04
3	परिचालन लाभ का औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत	2.06	3.22
4	आस्तियों पर आय (%)	1.83	1.82
5	प्रति कर्मचारी लाभ (रु.करोड़)	0.17	0.20

V. प्रावधानों में परिवर्तन

(क) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान

(रु.करोड़)

विवरण	2005-06	2004-05
क) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	0.75	0.49
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.18	0.26
घटाएं: अतिशय प्रावधानों को बढ़ाते खाते डालना, वापस लेना	0.71	0.00
ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	0.22	0.75

(ख) निवेशों में मूल्यहास हेतु प्रावधान

(रु.करोड़)

विवरण	2005-06	
अ वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष		103.89 (0.65)
आ जोड़ें		
i) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
अ निवेश में मूल्यहास हेतु प्रावधान सरकारी प्रतिभूतियों - एएफएस	31.28	
आ मूल्यहास हेतु प्रावधान - एडीएफसी-एपी	0.07	
इ मूल्यहास हेतु प्रावधान - एनसीडीइएक्स	0.63	
ई मूल्यहास हेतु प्रावधान - एपीआईडीसी-बायो टेक	0.11	32.09 (38.00)
ii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते से विनियोजन, यदि कुछ हो		
इ उप जोड़ (अ+आ. i+आ. ii)		135.98 (103.89)
ई घटाएं		
i) वर्ष के दौरान अपलिखित	0.00 (0.00)	
ii) 14 जून 2005 को एएफएस से एचटीएम में प्रतिभूतियों के परिवर्तन से हुई हानि को पूरा करने में उपयोग किए गए प्रावधान	102.89	
iii) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण, यदि कुछ हो	0.00 (0.00)	
उ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष (इ-ई. i - ई. ii)		102.89 33.09 (103.89)

VI. पुनर्गठित लेखे

वर्ष के दौरान, रु.201.67 करोड़ की मानक पुनर्वित्त आस्तियों पर ब्याज को पुनर्गठित किया गया. इन पुनर्गठित ऋणों पर रु.31.08 के ब्याज घटक के उत्सर्ग के लिए प्रावधान किया गया है.

VII. वर्ष के दौरान सेक्योरिटाइजेशन कंपनी / पुनर्गठन कंपनी को बेची गई आस्तियां : शून्य.

VIII. डेरीवेटिव्स में निवेश से जोखिम के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.200 करोड़ का वायदा दर करार / ब्याज दर स्वाप किया. प्रति वर्ष के कूपन को 12 माह के जेपीवाई लिबोर +4.70% तथा बांडों की सम्पूर्ण अवधि (10 वर्ष) के दौरान देय 2% कैप के साथ स्वाप किया गया.

बैंक डेरीवेटिव्स में व्यापार नहीं करता है. फिर भी बैंक ने केएफडब्ल्यू जर्मनी से लिए गए उधार 58.80 मिलियन यूरो और इस पर उपचित होने वाले ब्याज के संबंध में अपनी देयता के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए हेजिंग की है.

विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणामस्वरूप इसे स्वाप करार के अनुसार संविदाकृत कीमत पर दर्शाया गया है.

वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार बकाया हेज करार की कीमत रु.353.91 करोड़ थी जिसमें रु.315.91 करोड़ मूलधन के लिए और

रु.38 करोड़ ब्याज देयता के लिए है. लेखा बहियों में बकाया कीमत, संविदाकृत कीमत अर्थात् रु.329.84 करोड़ है जिसमें रु.294.42 करोड़ यूरो मूलधन के लिए और रु.35.42 करोड़ उस पर ब्याज के लिए है.

31 मार्च 2006 की विनिमय दर के अनुसार जेपीवाई लिबर लिंकड स्वाप पर 27 मार्च 2006 (स्वाप प्रारम्भ होने की तारीख) से 14 जनवरी 2007 (प्रथम ब्याज पुनर्गठन की तारीख) की अवधि के लिए ब्याज लागत रु.7.95 करोड़ थी.

IX. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(रु.करोड़)

पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया राशि
भारतीय रिज़र्व बैंक	नाबार्ड की पूंजी में 72.50% स्वामित्व	उधार (चुकौती को छोड़कर)	(-) 929.30	2997.95
		उधार पर ब्याज	(-266.35)	(3927.25)
		नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियों में प्राप्त अंशदान	175.39 (139.55)	
भारत सरकार	नाबार्ड की पूंजी में 27.50% स्वामित्व	उधार (चुकौती को छोड़कर)	(-) 4.71	400.00
		उधार पर ब्याज	(-160.48)	(404.71)
		गारंटी शुल्क	28.89 (39.41)	20.24 (20.25)
एडीएफटी, चेन्नै	नियंत्रण - शेयर पूंजी का 52.10%	ऋण (चुकौती को छोड़कर)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
एबीएफएल, हैदराबाद	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 47.82%	ऋण (चुकौती को छोड़कर)	0.00	0.00
		ऋण पर ब्याज	(-1.36)	(0.00)
केएडीएफसी, बंगलूर	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 82.41%	कोई लेन-देन नहीं	0.00	0.00
			(0.00)	(0.00)
नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्रा.लि.	संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	नाबार्ड द्वारा खर्च की गई राशि		1.47
श्रीमती रंजना कुमार	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.19 (0.24)	(0.82)
डॉ. वाई.एस.पी. थोरात	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - प्रबंध निदेशक	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.08 (0.07)	

X. व्यवसाय खंडों के संबंध में सूचना

क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

i. **सीधा वित्तपोषण** : ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और स्वैच्छिक एजेन्सियों / गैर-सरकारी

संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिया गया ऋण इस खंड में शामिल है.

ii. **पुनर्वित्त** : राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को वितरित ऋणों हेतु प्रदत्त पुनर्वित्त.

iii. **ट्रेजरी** : कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश.

iv. **अनाबंटित** : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के लिए किए गए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है.

भौगोलिक रूप से चयनित द्वितीयक व्यवसाय खंड के तहत निम्नलिखित राज्यों में कारोबार शामिल है :

i) **दक्षिणी अंचल** : कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्षेत्रीय

प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंगलूर.

ii) **पूर्वी अंचल** : त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय.

iii) **उत्तरी अंचल** : मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बिहार, नई दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उत्तरांचल.

iv) **पश्चिमी अंचल** : गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और प्रधान कार्यालय, मुंबई.

ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु. करोड़)

क्रम सं. खंड	बाहरी ग्राहकों से खंड राजस्व	खंड परिणाम	खंड आस्तियाँ	खंड देयताएं
1 सीधा वित्त	856.74(1,167.94)	133.57(331.73)	15206.49(10,569.79)	14210.30(9,388.93)
2 पुनर्वित्त	2595.20(2,323.86)	949.95(960.39)	43893.55(38,666.16)	42692.98(41,389.79)
3 ट्रेजरी	471.55(433.37)	416.76(328.32)	7448.60(5,260.06)	96.43(0.00)
4 अनाबंटित	12.98(13.58)	(328.79)(-287.83)	1056.58(6,283.05)	2697.73(4,144.18)
जोड़	3,936.47	1,171.49	67,605.23	59,697.44
# जहां बाहरी देनदारियां नहीं हैं. वहां राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधियों का शेष भी सम्मिलित है.				

ग) द्वितीयक खंड के संबंध में सूचना

(रु. करोड़)

भौगोलिक खंड	बाहरी ग्राहकों से प्राप्त खंड राजस्व	खंड आस्तियां
1 पूर्वी अंचल	380.66(416.93)	6,567.48(5,443.41)
2 उत्तरी अंचल	1,658.41(1,675.16)	28,264.06(23,847.89)
3 दक्षिणी अंचल	948.41(925.03)	17,509.72(14,036.08)
4 पश्चिमी अंचल	948.99(921.63)	15,263.97(17,451.68)
जोड़	3,936.47	67,605.23

पी.सतीश
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
मुंबई, 15 जून 2006

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
शार्प एण्ड टैनन
सनदी लेखाकार
हस्ताक्षरकर्ता :

मिलिंद पी.फडके
साझेदार
सदस्यता सं.33013
मुंबई, 15 जून 2006

डॉ. य. शं. पा. थोरात
अध्यक्ष

डॉ.के.जी.करमाकर
प्रबंध निदेशक

उषा थोरात
निदेशक

अमिताभ वर्मा
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु.करोड़)

विवरण	2005-06 के दौरान	2004-05 के दौरान	
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	1171,48,99,439	1332,61,87,497	
समयोजन :			
मूल्य ह्रास के लिए	22,30,95,661	26,14,95,776	
प्रावधान और परिशोधन के लिए	50,70,62,073	103,27,10,721	
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	(52,72,628)	26,11,886	
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	70,70,00,000	0	
पुनर्संरचनाकृत ऋणों के लिए ब्याज उत्सर्ग हेतु प्रावधान	31,08,00,000	0	
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ / हानि	(25,78,799)	(11,69,158)	
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज	49,03,78,019	33,46,45,343	
अन्य व्यय	20,35,49,899	16,90,64,527	
निवेश से आय	(470,24,51,942)	(432,08,77,974)	
विभिन्न निधियों से व्यय	(362,73,83,601)	(314,34,15,498)	
कार्यशील आस्तियों में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	581,90,98,120	766,12,53,120	
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन :			
चालू आस्तियां	1034,44,16,246	(3364,42,33,952)	
चालू देयताएं	60,13,18,291	9,62,28,966	
बांडों से प्राप्ति	3609,03,90,000	5320,59,80,000	
उधार में वृद्धि / कमी	(2736,19,44,908)	1374,73,21,456	
जमा में वृद्धि / कमी	4826,79,84,354	(2926,08,40,881)	
ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(9835,68,44,499)	436,70,74,531	
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(2459,55,82,396)	1617,27,83,240	
आयकर का भुगतान	(364,08,47,302)	(508,29,25,578)	
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(2823,64,29,698)	1108,98,57,662	
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
निवेश से आय	470,24,51,942	328,84,27,253	
अचल आस्ति में वृद्धि / कमी	(12,29,72,683)	(16,17,51,104)	
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1812,67,73,003	(2705,87,73,041)	
शेयरों का क्रय	(1,25,00,000)	(20,11,10,000)	
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई / से सृजित निवल नकदी (आ)	2269,37,52,262	(2413,32,06,892)	
(ग) गतिविधियों के वित्तपोषण से नकदी प्रवाह			
प्राप्त अनुदान / अंशदान	502,46,61,138	377,08,64,449	
गतिविधियों के वित्तपोषण से निवल नकदी का सृजन (इ)	502,46,61,138	377,08,64,449	
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)	(51,80,16,298)	(927,24,84,781)	
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	252,61,55,980	1179,86,40,761	
अवधि की समाप्ति में नकदी और नकदी समकक्ष	200,81,39,682	252,61,55,980	
नोट : नकदी और नकदी समकक्ष में हाथ में रोकड़, भारि बैंक के पास शेष, भारत में अन्य बैंकों में चालू खातों में शेष और मार्गस्थ प्रेषण शामिल हैं।			
पी.सतीश मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग मुंबई, 15 जून 2006	हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार शार्प एण्ड टैनन सनदी लेखाकार हस्ताक्षरकर्ता :	मिलिंद पी.फडके साझेदार सदस्यता सं.33013 मुंबई, 15 जून 2006	
डॉ. य. शं. पा. थोरात अध्यक्ष	डॉ.के.जी.करमाकर प्रबंध निदेशक	उषा थोरात निदेशक	अमिताभ वर्मा निदेशक